

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) म०प्र०भोपाल

क्रमांक/एफ-7/60/1996/10-06/निस्तार/1273

भोपाल, दिनांक 02-04-2003

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक
2. समस्त वन मंडल अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :- जलाऊ लकड़ी में सूखत से कमी का प्रतिशत निर्धारण बाबत।

संदर्भ :- म०प्र० शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-9/12/90/10/3 दिनांक 25-3-2003

—0—

संदर्भित पत्र द्वारा शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1999 तक के जलाऊ लकड़ी के प्रकरण में सूखत के कारण कमी भूतलक्षी प्रभाव से निम्नानुसार मान्य की जाती है:-

क्रमांक	कटाई के बाद की अवधि	भार में कमी का प्रतिशत			भार में कुल कमी (प्रतिशत में)	
		सूखत के कारण	सड़ने के कारण	हेंडलिंग के कारण	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रथम वर्ष	15	10	2	27	27
2.	द्वितीय वर्ष	5	10	0	15	42
3.	तृतीय वर्ष	0	15	0	15	57
4.	चतुर्थ वर्ष	0	20	0	20	77
5.	पंचम वर्ष	0	23	0	23	100

लेकिन यह कमी उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी, जिनमें जलाऊ लकड़ी का निर्वर्तन चट्टों के रूप में ही किया गया हो।

प्रायः देखने में आता है कि प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में अभी भी शहरी क्षेत्र में कृषिमाजता डिपो विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं और उसमें लकड़ी का निर्वर्तन वजन से किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि जुलाई 1999 के बाद प्रदेश के किसी वन मंडल में यदि जलाऊ लकड़ी के वजन से निर्वर्तन के कारण कोई भी सूखत का प्रकरण बनता है तो उसकी पूर्ण वसूली संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी से की जायेगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में शासन के समक्ष 1999 के पहले के प्रकरण में सूखत का प्रतिशत को लेकर महालेखाकार द्वारा उठाई गई काफी बड़ी संख्या में कंडिकायें निर्णय हेतु लंबित हैं इसमें भी यह दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि जुलाई 1999 के परिपत्र के बाद कोई भी सूखत की स्थिति निर्मित नहीं होगी क्योंकि चट्टों का निर्वर्तन चट्टों के रूप में ही किया जाना है।

यदि जुलाई 1999 के बाद कहीं भी जलाऊ लकड़ी के सूखत का प्रकरण बना तो उस प्रकरण में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये पूर्ण वसूली की कार्यवाही की जाये। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप लंबित कंडिकाओं का एवं सी.ए.जी. पैरा का शीघ्र

निराकरण करें तथा इसके भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र भी संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा दिये जायें कि उपरोक्त मापदण्ड के फलस्वरूप कोई भी कंडिकार्यें निराकरण हेतु लंबित नहीं है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 689 दिनांक 10-02-03 से भी निर्देश दिये गये हैं।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ/07/60/1996/10-06/निस्तार/1273-ए
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02-04-2003

मुख्य वन संरक्षक (बित्त एवं बजट) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल